G/329/2710/14/6/2022

संख्या–514 /33–3–2022–1713 / 2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 02 मई 2022

विषयः– उ0प्र0 मातृभूमि योजनान्तर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी.एम.यू.) के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–57 / 2021 / 2177 / 33–3–2021–1713 / 2021 दिनांक 12.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के कियान्वयन एवं उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजनान्तर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी.एम.यू.) के गठन से सम्बन्धित निर्देश निर्गत किए गए हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के कियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी.एम.यू.) के गठन किया जाता है, जो निम्नवत हैः–

2– उ0प्र0 मातृ भूमि योजना का उद्देश्यः–

I. ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास व पंचायत राज अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों को ग्राम में निवासरत व बाहर रहने वाले व्यक्तियों/निजी संस्थाओं के सहयोग से परिसम्पत्ति के निर्माण व अनुरक्षण में सहभागिता किया जाना।

II. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों के तीव्र गति के साथ–साथ उसमें गुणात्मक सुधार एवं नवीन तकनीकों व विचारों का समावेश।

III. निजी निवेश तकनीकी सहयोग एवं सुपरविजन की उपलब्धता से कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि।

3– उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का वित्तीय समावेशः–

पंचायत में कराये जाने वाले कार्य हेतु निर्धारित लागत में से दानकर्ता/दानकर्तागण द्वारा अपने गॉव में 60 प्रतिशत या उससे अधिक राशि का दान देकर कार्य सम्पन्न करवा सकेंगे दानकर्ता द्वारा दी गई राशि के उपरान्त शेष 40 प्रतिशत राशि के अनुदान की व्यवस्था राज्य सरकार करेंगी। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि शेष 40 प्रतिशत या उससे कम राशि की व्यवस्था सम्बन्धित विभागों के बजट प्राविधानों से की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आकार व प्रकार का

शिलापट्ट/प्लेक सहयोग करने वाले व्यक्ति/संस्था के प्रस्तावानुसार उस भवन अथवा अवस्थापना सुविधा के ऊपर यथोचित स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा।

4– उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के क्रियान्वयन हेतु सोसायटी का गठनः–

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन व संचालन हेतु उ0प्र0 मातृ भूमि सोसायटी का गठन किया जायेगा, जिसका पंजीकरण सोसायटी रजिस्टर एक्ट, 1860 के अन्तर्गत कराया जायेगा। सोसायटी का राज्य स्तर पर Escrow बैंक अकाउण्ट एवं जिला स्तर पर मातृभूमि योजना सोसायटी के अन्तर्गत अलग से बैंक अकाउण्ट खुलवाया जाएगा। सोसायटी को आवश्यकतानुसार Cropus Fund उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग किसी योजना हेतु राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर किया जाएगा व बजट उपलब्ध होने पर इसे Reimburse किया जाएगा। इस Cropus Fund के ब्याज से PMU के संचालन का व्यय भार वाहन किया जा सकेगा।

5– उ0प्र0 मातृ भूमि योजना के क्रियान्वयन हेतु पी0एम0यू0 का गठनः–

योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए इस हेतु "उ0प्र0 मातृभूमि सोसायटी" द्वारा प्रोजेक्ट मैंनेजमेन्ट यूनिट PMU का गठन किया जायेगा।

6– पी0एम0यू0 के कार्य एवं दायित्वः–

योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय बैंक एकाउण्ट PMU द्वारा संचालित किया जाएगा। PMU द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से दानकर्ताओं के दान की राशि एवं सरकार के अनुदान की राशि योजना के लिए खुलवाये गये अलग बैंक अकाउण्ट में जमा होगी। इस राशि के जमा होने के बाद, उसमें सम्बन्धित कार्य के लिए व्यय किया जा सकेगा। किसी भी शेड्यूल्ड बैंक की मदद से पोर्टल को खोला जा सकेगा। पोर्टल के ऊपर कार्यों का विवरण और कार्य का प्रकार, आदि दर्शाना होगा, ताकि दानकर्ताओं को दान देने के लिए सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध हो सके। सम्बन्धित ग्राम पंचायत, विकास खण्ड, पंचायत और मुख्य विकास अधिकारी के लिए आवश्यकतानुसार लॉगिंन आई0डी0 और पासवर्ड जनरेट किये जायेंगे।

सरकारी अनुदान, सी0एस0आर0 और अन्य ग्राण्ट भी पोर्टल के माध्यम से जमा होंगे। दानदाताओं के साथ सीधा सम्पर्क करने और अनुरोध व समस्याओं के निवारण के लिए एक कॉल सेन्टर का संचालन पी0एम0यू0 द्वारा किया जाएगा। इस कॉल सेन्टर के मैनपावर और इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था "उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसायटी" द्वारा की जाएगी। योजना के प्रचार–प्रसार के लिए देश एवं विदेश में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। विदेशों में प्रसारित होने वाले भारतीय चैनलों पर प्रसारण के साथ–साथ सोशल मीडिया में भी इसका प्रचार–प्रसार किया जाएगा। यह कार्य कार्यकारी समिति के निर्देशों के अनुसार पी0एम0यू0 के द्वारा किया जायेगा। पंचायतों में मातृभूमि योजनान्तर्गत कराये

जा रहे कार्यों का अनुश्रवण, संचालन, तकनीकी व्यवस्थाओं, समन्वय आदि की कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायी पी0एम0यू0 का होगा।

प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (PMU) के सुगम संचालन हेतु कार्मिकों का चयन निम्नानुसार किया जाना है:-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	मानदेय	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	चयन का माध्यम
1	2	3	4	5	6	7
1	कन्सल्टेन्ट (मैनेजमेन्ट)	01	रू0 90,000 कर अतिरिक्त (प्रति माह)	बी0टेक0 / एम0बी0ए0 / पी0जी0डी0एम 0	प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट, प्लानिंग एवं योजना के क्रियान्वयन में 05 वर्ष का अनुभव	विभाग द्वारा चयनित संस्था के माध्यम से
2	कन्सल्टेन्ट (एम0आई0 एस0)	01	रू0 90,000 कर अतिरिक्त (प्रति माह)	बी0टेक0 / एम0सी0ए0 / बी0ई0 या समकक्ष	योजना का प्रभावी अनुश्रवण, डैशबोर्ड की स्थापना में सहायता देना, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को तैयार करना आदि में 05 वर्ष का अनुभव	
3	कन्सल्टेन्ट (आई0ई0सी 0 / सोशल मीडिया)	01	रू0 90,000 कर अतिरिक्त (प्रति माह)	बी0टेक0 / एम0सी0ए0 / एम0बी0ए0 / मास कम्यूनिकेशन या समकक्ष	विभाग की आवश्यकता नुसार आवश्यक टिप्पणियां प्रस्तुत करना, सोशल मीडिया	विभाग द्वारा चयनित संस्था के माध्यम से

Amit Sri.

					प्रबन्धन, योजना का प्रचार–प्रसार एवं उससे सम्बन्धित सामग्री तैयार करना आदि में 03 वर्ष का अनुभव	
4	सोशल कन्सल्टेन्ट	01	रू0 70,000+कर अतिरिक्त (प्रति माह)	एम0बी0ए0 / एम0एस0डब्ल्यू / एम0ए0 (समाज शास्त्र)	योजना के संचालन में सहयोग प्रदान करना एवं 03 वर्ष का अनुभव	विभाग द्वारा चयनित संस्था के माध्यम से
5	एसोसिएट कन्सल्टेन्ट	01	रू0 70,000+कर अतिरिक्त (प्रति माह)	बी0टेक0 / एम0सी0ए0 / बी0ई0 या समकक्ष	योजना के संचालन में सहयोग प्रदान करना एवं 03 वर्ष का अनुभव	
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	रू0 18,000+कर अतिरिक्त (प्रति माह)	स्नातक + सी0सी0सी0 सर्टीफिकेट या समकक्ष	02 वर्ष कार्य का अनुभव	
7	अनुसेवक	01	रू0 10,000+ कर अतिरिक्त (प्रति माह)	08 वीं पास	–	

उक्त तालिका में वर्णित पदों पर सरकारी / गैर सरकारी संस्थाओं / पंचायतीराज विभाग में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी साथ ही कार्य की आवश्यकता / तात्कालिकता के दृष्टिगत राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट में पदों की संख्या में यथाआवश्यक वृद्धि हेतु निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 अधिकृत होंगे।

Amit Srl.

7– पी0एम0यू0 के संचालन हेतु कुल आंकलित व्यय विवरणः–

क्र0स0	मद का विवरण	प्रस्तावित संख्या/दर	आंकलित व्यय (समस्त कर सहित) (माहवार)	आंकलित व्यय (वार्षिक)
1	मैनपावर	07	5,47,500	65,70,000
2	वाहन	02	80,000	9,60,000
3	प्रशासनिक व्यय यथा–कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं अन्य उपकरण इत्यादि	आवश्यकतानुसार	–	20,00,000
4	वेबसाइट एवं मोबाइल एप	–	–	15,00,000
5	अन्य	आवश्यकतानुसार	–	40,00,000
कुल व्यय				**1,50,30,000**

पंचायतीराज निदेशालय में वित्त आयोग के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे कॉल सेन्टर के माध्यम से उ0प्र0 मातृभूमि योजना में दानदाताओं के साथ सीधा सम्पर्क करने और अनुरोध व समस्याओं के निवारण के लिए उक्त कॉल सेन्टर का उपयोग किया जायेगा।

8– उ0प्र0 मातृभूमि योजना के अन्तर्गत संचालित पी0एम0यू0 हेतु बजट प्रावधानः–

पी0एम0यू0 के मैनपावर एवं वाहनों, प्रवास आदि व्यय को प्रशासनिक व्यय के तौर पर माना जायेगा। यह व्यय आवंटित बजट के 3 प्रतिशत की सीमा तक किया जा सकेगा। इसके अलावा, कार्यकारी समिति कुल अनुदान के 3 प्रतिशत की सीमा में योजना के प्रचार–प्रसार, रोड शो आदि का बजट स्वीकृत करेगी। समिति द्वारा उसके अनुसार ही वार्षिक बजट तैयार किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

2.6.22

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

Amit Srl.

7. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0) उ0प्र0।
11. जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
12. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
13. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)

अनु सचिव।

Amit Sri